



सत्यमेव जयते

# मुख्य सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीम

संख्या-

शीर्षक.....

बनाम.....

क्र	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
	<p>19 <sup>01</sup>/<sub>26</sub> पञ्चावली पञ्चायती वार्ड          वकिल लखण। वकिल पाषाण          प्राथमिक प्रहस्तकर प्रकरण में          क्षापनी रूपी नामा डीनू से          केस कामवादी नही लाइने हेतु          निर्भेदनकिया गामा प्रकरण          प्रती स्वर पर फेरील प्रसार डीकर          वाद प्रती नम्बर से कम्ठी          जाकर वाखिल म द म द र डी</p> <p style="text-align: center;">Shau</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर एवं          उपखण्ड अधिकारी, भीम          जिला - राजसमन्ध</p>	

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट,  
मुकाम भीम - जिला राजसमंद, (राज.)

प्रकरण सं. <sup>208</sup>~~72~~ सन् 2024

राजेन्द्र कुमार

विरुद्ध

सुभाष वगैरह

अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र वास्ते आपसी राजीनामे से प्रकरण निस्तारित होने से  
प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही बंद किए जाने बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त प्रकरण में सादर निम्न निवेदन है कि :-

1. यह कि श्रीमान न्यायालय में उपरोक्त अनवान का प्रकरण विचाराधीन है तथा दादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं।
2. यह कि उक्त प्रकरण में दादी एवं प्रतिवादीगण के बीच पारिवारिक समझौता हो जाने के कारण दोनों पक्षकार उक्त प्रकरण में अग्रिम न्यायिक कार्यवाही नहीं चाहते हैं और अब उनके बीच किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रहा है और न ही वे किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही चाहते हैं।
3. यह कि उक्त प्रकरण में राजीनामे के आधार पर पत्रावली का निस्तारण किया जाना लोक अदालत की भावना से आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में आपसी राजीनामे से प्रकरण निस्तारित करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही समाप्त किए जाने की कृपा करावें।

स्थान : भीम

दिनांक : 19/1/2026

हस्ताक्षर दादी

C. Rajendra Kumar

सुभाष वगैरह

हस्ताक्षर प्रतिवादीगण